फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री खेमा — **विपक्षी : श्री भेरा**

किस्म मुकदमा – 88,188 रा.का.अ. — **पत्रावली संख्या : 147/20**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 13.09.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी की पैतृक सम्पति होना बताया है जो पूर्व में वादी के पिता उदा के नाम दर्ज थी जो उदा की मृत्यु के पश्चात् उदा के पुत्र दुदा, केवल उर्फ केवा एवं वादी खेमा के नाम विरासत से दर्ज हुई। उदा का पुत्र केवल उर्फ केवा डांगी लाऔलाद फौत होने से उसके नाम दर्ज भूमि निकटतम वारिस वादी व प्रतिवादीगण होना बताकर हिस्सेनुसार मौके पर उपयोग उपभोग कर रहे है केवल लाऔलाद फौत होने से उसके नाम दर्ज भूमि को हिस्सेनुसार अपने नाम दर्ज कराने का निवेदन किया हैं। वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू–1 श्री खेमा पिता उदा का पेश किया। केवल उर्फ केवा की मृत्यु होने से उसका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 पेश किया। सरपंच, ग्राम पंचायत साकरियाखेडी द्वारा प्रमाणित सजरा पेश किया जो प्रदर्श 3 है। उक्त सजरे में केवा को लाऔलाद फौत बताया हैं। चूंकि खातेदार केवा लाऔलाद फौत हो चुका है जिसके निकटतम वारिस वादी व प्रतिवादीगण होने से मृतक खातेदार के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

:: **आदेश** ::

परिणामस्वरूप वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा भीमल चारणान पटवार हल्का साकरियाखेडी की आराजी नम्बर 283, 289, 290, 294, 306, 307, 308, 319, 320, 322/1, 323, 340, 343 किता 13 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा भूमि में खातेदार केवला पिता उदा के बजाय वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 6 को हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:25:22 IST
Reason: SelfAttested

कुमार कोठारी)
कलक्टर
DO) मावली

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री कपिल कुमार कोठारी, R.A.S.
मुकदमा नम्बर : 147/20 (वाद) GCMS No. : 2020/00317

उनवान

1. श्री खेमा पिता उदा डांगी निवासी भीमल चारणान तह. मावली।

..................वादी

बनाम

1. श्री भेरा पिता दुदा डांगी निवासी भीमल चारणान तह. मावली।
2. श्री रामा पिता दुदा डांगी निवासी भीमल चारणान तह. मावली।
3. श्री रूपा पिता दुदा डांगी निवासी भीमल चारणान तह. मावली।
4. श्री धन्ना पिता दुदा डांगी निवासी भीमल चारणान तह. मावली।
5. श्रीमती चम्पाबाई पुत्री दुदा डांगी निवासी भीमल चारणान तह. मावली।
6. श्रीमती केशीबाई पत्नी स्व. दुदा डांगी निवासी भीमल चारणान तह. मावली।
7. पटवारी, पटवार हल्का साकरियाखेडी तह. मावली।
8. उप पंजीयन कार्यालय, पंजीयन कार्यालय मावली तह. मावली।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु कपिल कुमार कोठारी, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा भीमल चारणान पटवार हल्का साकरियाखेडी की आराजी नम्बर 283, 289, 290, 294, 306, 307, 308, 319, 320, 322/1, 323, 340, 343 किता 13 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा भूमि में खातेदार केवला पिता उदा के बजाय वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 6 को हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 13.09.2022 को जारी की गई।

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:25:22 IST
Reason: SelfAttested